रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 596] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 24, 2018/भाद्र 2, 1940

No. 596] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 24, 2018/BHADRA 2, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2018

सं. 41/2018- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 810(अ).—जहां कि बंग्लादेश और नेपाल (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "जूट उत्पाद" जैसे कि जूट यार्न/ट्विन (मल्टीपल फोल्डेड/केबल्ड एंड सिंगल), हैसियान फैब्रिक और जूट सेकिंग बैग्स (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्ष 5307, 5310, 5607 या 6305 के अंतर्गत आते हैं, के आयात के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 4/19/2015-डीजीएडी, दिनांक 20 अक्तूबर, 2016, जिसे दिनांक 20 अक्तूबर, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि –

(i) विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं की भरमार हो रही है;

(ii) विषयगत देशों से हो रहे इस प्रकार के आयात से घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आ रही है और इस पर दबाव भी पड़ रहा है;

(iii) निवेश से होने वाले लाभप्रद प्रतिफल और नकद प्रवाह की दृष्टि से घरेलू उद्योगों का कामकाज खराब हो गया है;

(iv) घरेलू उद्योग को होने वाली यह क्षति इस फालतू आयात के कारण हुई है;

और विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर लगाए गए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है;

और जहां कि मैसर्स नैतोर जूट मिल्स, बांग्लादेश (निर्माता) और मैसर्स पीएनपी जूट ट्रेडिंग एलएलसी, यूएसए (निर्यातक / व्यापारी) ने अपने द्वारा बांग्लादेश से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के बारे में सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995(एतश्मिन पश्चात जिसे कथित नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 22 के अनुसार समीक्षा किए जाने के लिए अनुरोध किया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने न्यू शिपर रिव्यू अधिसूचना

संख्या 7/24/2018-डीजीएडी, दिनांक 2 जुलाई 2018 जिसे दिनांक 2 जुलाई 2018 को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग I, खड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत सिफारिश की है कि जब तक इस समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है, तब तक उक्त पार्टियों के द्वारा किए गए विषयगत वस्तुओं के सभी निर्यात का अनंतिम आंकलन किया जाए।

अत: अब कथित नियमावली के नियम 22 के उप नियम (2) के परंतुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त सिफारिश पर विचार करने के पश्चात एतद्वारा यह आदेश देती है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा की जा रही उक्त समीक्षा का जब तक परिणाम नहीं आ जाता है, तब तक विषयगत वस्तु, जब इनका निर्यात बांग्लादेश से मैसर्स नैतोर जूट मिल्स, बांग्लादेश (निर्माता) और मैसर्स पीएनपी जूट ट्रेडिंग एलएलसी, यूएसए (निर्यातक / व्यापारी) द्वारा किया गया हो और इनका भारत में आयात हुआ हो, तब तक अनंतिम आंकलन के अधीन समझी जाएंगी, जब तक कि इस समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है।

2. यह अनंतिम आंकलन उस गारंटी के अधीन रहेगा जिसे कोई यथोचित सीमा शुल्क अधिकारी यह समझता हो कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा जांच के पूरा हो जाने पर, भूतलक्षी प्रभाव से लगाए गए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क में यदि कोई कमी रह जाती है तो उस स्थिति में भुगतान किया जाना चाहिए।

3. निर्दिष्ट प्राधिकारी के उक्त समीक्षा कार्य को पूरा हो जाने पर सिफारिश किए गए प्रतिपाटन शुल्क की स्थिति में आयातकर्ता विषयगत वस्तुओं के सभी आयात पर, जब इनका निर्यात बांग्लादेश से मैसर्स नैतोर जूट मिल्स, बांग्लादेश (निर्माता) और मैसर्स पीएनपी जूट ट्रेडिंग एलएलसी, यूएसए (निर्यातक / व्यापारी) द्वारा किया गया हो और इनका भारत में आयात हुआ हो, समीक्षा में सिफारिश किए गए और लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क का भुगतान उक्त समीक्षा के प्रारंभ होने की तारीख से करने के लिए दायी होगा।

[फा. सं. 354/211/2016-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2018

No.41/2018-Customs (ADD)

G.S.R. 810(E).—Whereas, in the matter of import of 'Jute Products' namely, Jute Yarn/Twine (multiple folded/cabled and single), Hessian fabric, and Jute sacking bags (hereinafter referred to as the subject goods) falling under Tariff Headings 5307, 5310, 5607 or 6305 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from Bangladesh and Nepal (hereinafter referred to as subject countries) and imported into India, the designated authority, *vide* its final findings in notification No. 14/19/2015-DGAD, dated the 20th October, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 20th October, 2016 had come to the conclusion that-

(i) there is dumping of subject goods from the subject countries;

(ii) imports from subject countries are undercutting and suppressing the prices of the domestic industry;

(iii) performance of domestic industry has deteriorated in the terms of profitability return on investments and cash flow;

(iv) injury to domestic industry has been caused by dumped imports;

and had recommended continued imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in, or exported from, the subject countries;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty on the subject goods, *vide*, notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 01/2017-Customs (ADD), dated the 5th January, 2017 published *vide* number G.S.R. 11(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 5th January, 2017;

And whereas, M/s. Natore Jute Mills, Bangladesh (Producer) and M/s PNP Jute Trading LLC,USA (Exporter/ Trader) have requested for review in terms of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995(hereinafter referred to as the said rules), in respect of exports of the subject goods made by them from Bangladesh, and the designated authority, *vide* new shipper review notification No. 7/24/2018-DGAD dated the 2nd July, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part 1. Section 1, dated the 2nd July, 2018, has recommended provisional assessment of all exports of the subject goods made by the above stated parties till the completion of the review by it.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-rule (2) of rule 22 of the said Rules, the Central Government, after considering the aforesaid recommendation of the designated authority, hereby orders that pending the outcome of the said review by the designated authority, the subject goods, when originating in or exported from Bangladesh by M/s. Natore Jute Mills, Bangladesh (Producer) and M/s PNP Jute Trading LLC,USA (Exporter/ Trader) and imported into India, shall be subjected to provisional assessment till the review is completed.

2. The provisional assessment may be subject to such guarantee as the proper officer of customs deems fit for payment of the deficiency, if any, in case a definitive anti-dumping duty is imposed retrospectively, on completion of investigation by the designated authority.

3. In case of recommendation of anti-dumping duty after completion of the said review by the designated authority, the importer shall be liable to pay the amount of such anti-dumping duty recommended on review and imposed on all imports of subject goods when originating in or exported from Bangladesh by M/s. Natore Jute Mills, Bangladesh (Producer) and M/s PNP Jute Trading LLC, USA (Exporter/ Trader) and imported into India, from the date of initiation of the said review.

[F. No. 354/211/2016-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2018

सं. 42/2018- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 811(अ).—जहां कि बंग्लादेश और नेपाल (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "जूट उत्पाद" जैसे कि जूट यार्न/ट्विन (मल्टीपल फोल्डेड/केबल्ड एंड सिंगल), हैसियान फैब्रिक और जूट सेकिंग बैग्स (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्ष 5307, 5310, 5607 या 6305 के अंतर्गत आते हैं, के आयात के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 14/19/2015-डीजीएडी, दिनांक 20 अक्तूबर, 2016, जिसे दिनांक 20 अक्तूबर, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, के अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि –

(i) विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं की भरमार हो रही है;

(ii) विषयगत देशों से हो रहे इस प्रकार के आयात से घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आ रही है और इस पर दबाव भी पड़ रहा है;

(iii) निवेश से होने वाले लाभप्रद प्रतिफल और नकद प्रवाह की दृष्टि से घरेलू उद्योगों का कामकाज खराब हो गया है;

(iv) घरेलू उद्योग को होने वाली यह क्षति इस फालतू आयात के कारण हुई है;

और विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर लगाए गए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है;

और जहां कि मैसर्स अज़ीज़ फाइबर लिमिटेड, बांग्लादेश (निर्माता / निर्यातक) ने अपने द्वारा बांग्लादेश से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के बारे में सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995(एतश्मिन पश्चात जिसे कथित नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 22 के अनुसार समीक्षा किए जाने के लिए अनुरोध किया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने न्यू शिपर रिव्यू अधिसूचना संख्या 7/25/2018-डीजीएडी, दिनांक 2 जुलाई 2018 जिसे दिनांक 2 जुलाई 2018 को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग I, खड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत सिफारिश की है कि जब तक इस समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है, तब तक उक्त पार्टियों के द्वारा किए गए विषयगत वस्तुओं के सभी निर्यात का अनंतिम आंकलन किया जाए।

अत: अब कथित नियमावली के नियम 22 के उप नियम (2) के परंतुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त सिफारिश पर विचार करने के पश्चात एतद्वारा यह आदेश देती है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा की जा रही उक्त समीक्षा का जब तक परिणाम नहीं आ जाता है, तब तक विषयगत वस्तु, जब इनका निर्यात बांग्लादेश से मैसर्स अज़ीज़ फाइबर लिमिटेड, बांग्लादेश (निर्माता / निर्यातक) द्वारा किया गया हो और इनका भारत में आयात हुआ हो, तब तक अनंतिम आंकलन के अधीन समझी जाएंगी, जब तक कि इस समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है।

2. यह अनंतिम आंकलन उस गारंटी के अधीन रहेगा जिसे कोई यथोचित सीमा शुल्क अधिकारी यह समझता हो कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा जांच के पूरा हो जाने पर, भूतलक्षी प्रभाव से लगाए गए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क में यदि कोई कमी रह जाती है तो उस स्थिति में भुगतान किया जाना चाहिए।

3. निर्दिष्ट प्राधिकारी के उक्त समीक्षा कार्य को पूरा हो जाने पर सिफारिश किए गए प्रतिपाटन शुल्क की स्थिति में आयातकर्ता विषयगत वस्तुओं के सभी आयात पर, जब इनका निर्यात बांग्लादेश से मैसर्स अज़ीज़ फाइबर लिमिटेड, बांग्लादेश (निर्माता / निर्यातक) द्वारा किया गया हो और इनका भारत में आयात हुआ हो, समीक्षा में सिफारिश किए गए और लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क का भुगतान उक्त समीक्षा के प्रारंभ होने की तारीख से करने के लिए दायी होगा।

[फा. सं. 354/211/2016-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2018

No. 42/2018-Customs (ADD)

G.S.R. 811(E).—Whereas, in the matter of import of 'Jute Products' namely, Jute Yarn/Twine (multiple folded/cabled and single), Hessian fabric, and Jute sacking bags (hereinafter referred to as the subject goods) falling under Tariff Headings 5307, 5310, 5607 or 6305 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from Bangladesh and Nepal (hereinafter referred to as subject countries) and imported into India, the designated authority, *vide* its final findings in notification No. 14/19/2015-DGAD, dated the 20th October, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 20th October, 2016 had come to the conclusion that-

(i) there is dumping of subject goods from the subject countries;

(ii) imports from subject countries are undercutting and suppressing the prices of the domestic industry;

(iii) performance of domestic industry has deteriorated in the terms of profitability return on investments and cash flow;

(iv) injury to domestic industry has been caused by dumped imports;

and had recommended continued imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in, or exported from, the subject countries;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty on the subject goods, *vide*, notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 01/2017-Customs (ADD), dated the 5th January, 2017 published *vide* number G.S.R. 11(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 5th January, 2017;

And whereas, M/s Aziz Fibres Limited, Bangladesh (Producer/ Exporter) have requested for review in terms of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995(hereinafter referred to as the said rules), in respect of exports of the subject goods made by them from Bangladesh, and the designated authority, *vide* new shipper review notification No. 7/25/2018-DGAD dated the 2nd July, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part 1. Section 1, dated the 2nd July, 2018, has recommended provisional assessment of all exports of the subject goods made by the above stated parties till the completion of the review by it.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-rule (2) of rule 22 of the said Rules, the Central Government, after considering the aforesaid recommendation of the designated authority, hereby orders that pending the outcome of the said review by the designated authority, the subject goods, when originating in or exported from Bangladesh by M/s Aziz Fibres Limited, Bangladesh (Producer/ Exporter)and imported into India, shall be subjected to provisional assessment till the review is completed.

2. The provisional assessment may be subject to such guarantee as the proper officer of customs deems fit for payment of the deficiency, if any, in case a definitive anti-dumping duty is imposed retrospectively, on completion of investigation by the designated authority.

3. In case of recommendation of anti-dumping duty after completion of the said review by the designated authority, the importer shall be liable to pay the amount of such anti-dumping duty recommended on review and imposed on all imports of subject goods when originating in or exported from Bangladesh by M/s Aziz Fibres Limited, Bangladesh (Producer/ Exporter) and imported into India, from the date of initiation of the said review.

[F. No. 354/211/2016-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.08.25 09:09:38 +05'30'